

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं० - 1150/रा० डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर

दिनांक - 25-04-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कुण्डल, परगना-तारसों थाना-रोसडा, थाना नं०-173 जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती नदी पर तटबंध का ऊंचीकरण एवं सुदृढीकरण के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कुण्डल के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 11.90 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अश 5549, 5516, 5517, 5518, 5521, 5522, 5525, 5526, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5543, 5544, 5548, 5550, 5622, 5623, 5624, 5647, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5660, 5661, 5669, 5670, 5718, 5722, 5723, 5738, 5739, 5755, 5784, 5786, 5787, 6240, 6241, 6242, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6274, 6275, 6278, 6279, 6282, 6283, 6284, 6285, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6322, 6327, 6328, 6331, 6332, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6341, 6342, 6343, 6352, 6353, 6354, 6355, 6322, 6481, 5753/6477, 5757/6591 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 5719, 5756, 6329 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अश खेसरा संख्या 5786, 5787, 5784, 6591, 6554, 6477 एवं 5739 है।

पूरब :- अश खेसरा सं० 5737, 5738, 5723, 5722, 5718, 5684, 5681, 5670, 5669, 5658, 5657, 5656, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 6240, 6242, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6274, 6275, 6278, 6279, 6282, 6283, 6284 एवं 6285 है।

दक्षिण :- अश खेसरा संख्या 5622, 5647, 5626, 5628, 5624 एवं 5621 है।

पश्चिम :- अश खेसरा सं० 5551, 5550, 5549, 5548, 5544, 5543, 5537, 5536, 5535, 5534, 5533, 5532, 5531, 5530, 5526, 5525, 5522, 5521, 5518, 5517, 5516, 4475, 6333, 6335, 6336, 6337 एवं पूर्ण खेसरा सं० 6331/6332 है।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1964 द्वारा सशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियन्ता बाढ नियन्त्रण प्रमंडल हथौडी, समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ० के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल की राय से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता
समस्तीपुर।

समाहर्ता
समस्तीपुर।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 1150/श-डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना,

दिनांक - 25-04-13

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें। **समाहर्ता, समस्तीपुर ।**
आशुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

अनु0 :- यथोक्त।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक/डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना,

दिनांक

प्रतिलिपि जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

अनु0 :- यथोक्त

Om
24/4/13
सरकार के सचिव